## एक नजर

### नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार

स्वतंत्र चेतना



हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को बुधवार देर रात बीएचईएल फाउंड्री गेट के पास से दबोचा गया। पूछताछ के बाद गुरुवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि आकेश उर्फ आदेश पुत्र राम सेवक निवासी ग्राम पीतम नगर हडोरा, थाना सिकंदरपुर, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश, हाल निवासी जमालपुर कलां, थाना कनखल, उसके घर में जबरन घुस आया और उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआई सोनल रावत के नेतृत्व में टीम गठित की गई। बुधवार रात मुखबिर की सूचना मिली पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे फाउंड्री गेट से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

### हरकी पैड़ी पर श्रद्धालुओं को परेशान करने के आरोप में 31 लोग गिरफ्तार



स्वतंत्र चेतना

हरिद्वार। हरकी पैड़ी क्षेत्र में गंगा स्नान को आ रहे श्रद्धालुओं का रास्ता रोककर जबरन भीख मांग कर परेशान करने वाले 31 भिक्षुकों को कोतवाली नगर पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। सभी के विरुद्ध भिक्षावृत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई जारी है। एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हरकी पैड़ी क्षेत्र में घाटों को जाने वाले मुख्य मार्गों पर अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आ रहे श्रद्धालुओं से कुछ भिक्षुक जबरन भीख मांगकर उन्हें तंग कर रहे थे। शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 31 भिक्षुकों को हिरासत में लिया। सभी आरोपियों के विरुद्ध भिक्षुक अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई जारी है। अभियान के दौरान पुलिस ने श्रद्धालुओं को भीड़ में चोरी की घटनाओं से सतर्क रहने के लिए भी जागरूक किया और उनसे अपने मोबाइल, पर्स, ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा के साथ उप निरीक्षक अंशुल अग्रवाल और उप निरीक्षक राधाकृष्ण रतूड़ी शामिल रहे।

### ट्रिपल मर्डर के दोषी की फांसी निरस्त, हाईकोर्ट ने मानसिक इलाज का दिया निर्देश

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने अपनी मां, बड़े भाई एवं गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर निर्मम हत्या करने के आरोपित को निचली अदालत की ओर से मिली फांसी की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार उसका मानसिक इलाज कराए और ठीक होने के बाद उसे रिहा करे। पूर्व में कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि जो रिकार्ड आरोपित के संबंध में पेश किया गया है, उसका अवलोकन करें। साथ में यह भी देखें कि क्या घटना के वक्त आरोपित किसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त तो नहीं था। सजा सुनाते वक्त कोई तथ्य छूट तो नहीं गया क्योंकि उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दिए जाने के आधार पर उसकी मेडिकल स्थिति को जानने के लिए दोबारा से सुनवाई करने हेतु विचारणीय न्यायालय को रिफरेंस आदेश वापस भेजा था। निचली अदालत ने मामले में फिर से सुनवाई करते हुए आरोपित को स्वस्थ्यचित पाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इस पर आरोपित की तरफ से कहा गया कि घटना के वक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के संबंध में कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए इस मामले में दोबारा से सुनवाई की जाए। इस पर निचली अदालत ने इस मामले में दोबारा सुनवाई की और अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए उसकी फांसी की सजा को पूर्ववत रखा और कहा कि घटना के वक्त वह किसी रोग से पीड़ित नही था जिसके आवेश में आकर उसने यह घटना की, उसने मां की कोख में पल रहे बेजुबान बच्चे सहित दो अन्य की तलवार से निर्मम हत्या की है। मामले में आरोपित का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता न्यायमित्र ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने घटना के वक्त उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, इसलिए पूर्व में कोर्ट ने उसकी मानसिक स्थिति को जानने के लिए रिफ्रेन्स आदेश को दोबारा से सुनवाई के लिए भेजा गया लेकिन फिर भी अपना फांसी का आदेश बरकरार रखा। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार टिहरी गढ़वाल के गुमाल गांव निवासी संजय सिंह ने 13 दिसंबर 2014 को मामूली बात में अपनी मां, बड़े भाई एवं गर्भवती भाभी की तलवार से काटकर हत्या कर दी थी। इसकी रिपोर्ट आरोपित के पिता राम सिंह पवार ने दर्ज कराई थी। संजय सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने अगस्त 2021 को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। जिसे आरोपित ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

# बड़कोट, पुरोला व चिन्यालीसौड़ महाविद्यालय का होगा उच्चीकरण : धामी

स्वतंत्र चेतना



उत्तरकाशी। सेवा सेतु अभियान के तहत गुरूवार को बनीर्गाड़ पहुंचे सीएम धामी ने राजकीय महाविद्यालय बनीर्गाड़ का उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को उच्च शिक्षा की सौगात दी है। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय बनीर्गाड़ के भवन व कैंपस निर्माण को जल्द शुरू करने के साथ ही राजकीय महाविद्यालय बड़कोट, पुरोला एवं चिन्यालीसौड़ को उच्चीकृत किए जाने की भी घोषणा की।

कहा कि महाविद्यालय का शुभारंभ क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार और युवाओं के उज्वल भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। इससे स्थानीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मुहैया होंगे। सेवा संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को राइंका बनीर्गाड़ (कुंवा)में आयोजित शिविर में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने 215 करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और कहा कि ये योजनाएं क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेंगी। इसके साथ ही आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और पर्यटन को बढ़ावा देंगी। वहीं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। कहा कि बनीर्गाड़ महाविद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध हो गई है और स्थायी भवन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का कार्य केवल योजनाएं बनाना और आदेश जारी करना नहीं, बल्कि उनका लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। सेवा सेतु अभियान इसी संकल्प का प्रतीक है। जिससे आम नागरिकों को अपने कार्यों के लिए बार-बार तहसील और जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें तथा सरकार स्वयं जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी सोच में गरीबों, किसानों, युवाओं, सैनिकों और मातृशक्ति का सशक्तीकरण प्रमुख स्थान रखता है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 3.10 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। चारधाम यात्रा में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं इस बार 59 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा में दर्शन किए है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और विभागों के विभिन्न लाभार्थियों को चेक एवं उपकरण वितरित किए साथ ही विभागीय अधिकारियों से जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति एवं आमजन को मिल रहे लाभों की जानकारी ली। इस मौके पर पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का बनीर्गाड़ आगमन पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार जनकल्याण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 215 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं तथा राजकीय महाविद्यालय बनीर्गाड़ के उद्घाटन से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

यह की घोषणाएं - गुरूवार को बनीर्गाड़ पहुंचे सीएम ने राजकीय महाविद्यालय बनीर्गाड़ के भवन और कैम्पस के निर्माण को जल्द शुरू करने, राजा रघुनाथ देवडोकरी में मिनी स्टेडियम बनाने, बनीर्गाड़ थाला चौक से राजकीय इंटर कॉलेज बनीर्गाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण,डाडा गांव छानी से टटाऊ तक पुल और सड़क का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने, तथा राजकीय महाविद्यालय बड़कोट, पुरोला एवं चिन्यालीसौड़ को उच्चीकृत किए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर जिपं अध्यक्ष रमेश चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, जिलाध्यक्ष भाजपा नागेन्द्र चौहान, दजार्धारी राज्यमंत्री श्याम डोभाल, जगत सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह भंडारी, पूर्व विधायक मालचंद, नारायण सिंह चौहान, नवीन ठाकुर, सत्येंद्र राणा, महावीर नेगी, परशुराम जगूड़ी, किरण रावत, जगमोहन चंद, अनिल चौहान, ब्लॉक प्रमुख रणदेव राणा, ममता पंवार, नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय, मुख्य विकास अधिकारी जय भारत सिंह, प्राचार्य पंकज पंत सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

### दिव्यांग प्रमाणपत्र, पेंशन और सहायक उपकरणों के लिए देहरादून में लगेंगे विशेष शिविर

स्वतंत्र चेतना

देहरादून। दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और आवश्यक प्रमाणपत्र व सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देहरादून जिले में 21 से 26 अक्टूबर तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर आयोजित इन शिविरों में विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन शिविरों में दिव्यांग प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, दिव्यांग पेंशन के लिए आय प्रमाणपत्र, यूडीआईडी कार्ड बनाने तथा सहायक उपकरणों के लिए पंजीकरण एवं परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिविरों के माध्यम से प्रधानमंत्री दिव्याशा योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 21 अक्टूबर को विकासखंड रायपुर के गांधी शताब्दी अस्पताल, 22 अक्टूबर को विकासखंड डोईवाला परिसर, 23 अक्टूबर को विकासखंड सहसपुर के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज मेहूंवाला, शिमला बाईपास के पास व 26 अक्टूबर को रिंग रोड, शिमला बाईपास रोड स्थित रिस्पना रिजॉर्ट के समीप, सीमाद्वार क्षेत्र, देहरादून में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

# उत्तराखंड के महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों पर जल्द होगी पदोन्नति

## छात्रावास संचालन के लिए एक सप्ताह में एसओपी बनाने के निर्देश

स्वतंत्र चेतना



देहरादून। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नति की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग को विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महाविद्यालयों के छात्रावासों के संचालन के लिए एक सप्ताह के भीतर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को कहा गया है।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गुरुवार को अपने शासकीय आवास पर विभागीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि करीब दो दर्जन राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के पद रिक्त हैं। इन पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, ताकि संबंधित महाविद्यालयों में प्राचार्यों की तैनाती की जा सके। उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्रावासों के संचालन के लिए अब तक एसओपी तैयार नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी कर छात्रावासों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बैठक में डॉ. रावत ने विभिन्न महाविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय बेतालघाट, पोखड़ा, हल्द्वानी शहर, देहरादून शहर और बेरीनाग में निर्माण कार्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर धनराशि जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य नए और पुराने निर्माण कार्यों के लिए भी शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराने को कहा। उच्च शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालयों में शैक्षिक और शिक्षणेतर संवर्ग के रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति होने तक संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्तियां करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने समर्थ पोर्टल के संचालन में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करने को कहा। बैठक में अपर सचिव मुनज गोयल, संयुक्त सचिव प्रदीप नौटियाल,प्रभारी निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. ए.एस.उनियाल,उप सचिव दीपक कुमार,उप निदेशक डॉ.ममता नैथाणी,नोडल रूसा डॉ. अनीता रावत सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

# डिग्री कॉलेजों के निर्माण में देरी पर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी

## उत्तराखंड के हर जिले में कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र बनाने पर जोर

स्वतंत्र चेतना



देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने डिग्री कॉलेजों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के निर्माण कार्यों में देरी पर नाराजगी जताते हुए तेजी लाने और विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र विकसित करने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई और सहमति प्रदान की गई। बैठक के दौरान उच्च शिक्षा विभाग के डिग्री कॉलेजों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए बर्द्धन ने कार्यदायी संस्था मंडी परिषद की ओर से निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्यों की समय-सीमा निर्धारित कर प्रगति की कार्ययोजना प्रस्तुत करने और निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं और प्रयोगशालाओं का निर्माण प्राथमिकता से किया जाए तथा परियोजनाओं को आवश्यकता के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए। मुख्य सचिव ने डिग्री कॉलेजों में परीक्षा भवनों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के अनुकूल बनाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा परीक्षा केंद्र विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जहां कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की प्रतियोगी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित प्रणाली से आयोजित हो सकें। इससे प्रदेश में परीक्षाओं के आयोजन की क्षमता बढ़ने के साथ अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने आईटीआई भवनों के निर्माण में सभी जरूरी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रशिक्षुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एडीजीपी (कारागार) अभिनव कुमार, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी. रविशंकर, डॉ. रणवीर सिंह चौहान, अपर सचिव मनुज गोयल और नरेंद्र सिंह भंडारी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

# राज्यपाल नियुक्ति पर कांग्रेस ने राजभवन के बाहर दिया धरना

## वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष एवं समयबद्ध सीबीआई) जांच कराने की मांग की

स्वतंत्र चेतना



देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर विरोध जताया है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से उनकी नियुक्ति के फैसले पर पुनर्विचार करने और मामले में कथित वीआईपी की भूमिका की निष्पक्ष एवं समयबद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने की मांग की है।

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉ. हरक सिंह रावत और प्रदेश सहप्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से भाजपा नेता की नियुक्ति पर सवाल उठाए। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकताओं ने राजभवन के बाहर धरना-प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सितंबर 2022 में पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर क्षेत्र स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत अंकिता भंडारी की हत्या के बाद से ही मामले में कथित वीआईपी की भूमिका और पहचान को लेकर सवाल उठते रहे हैं। पार्टी का कहना है कि इस संबंध में अब तक उठे सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से लोगों के मन में संदेह बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम भी इस मामले को लेकर सार्वजनिक आरोपों और चर्चाओं में सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में उन्हें राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्त किए जाने से जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। हालांकि, गौतम की कथित भूमिका को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मांग की है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका से जुड़े सवालों की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध सीबीआई जांच सुनिश्चित की जाए। पार्टी ने गौतम के संबंध में सामने आए सार्वजनिक आरोपों की जांच कर तथ्यों को सामने लाने तथा उनकी राज्यपाल नियुक्ति के फैसले पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया है। ज्ञापन में कथित वीआईपी की पहचान और भूमिका से जुड़े उपलब्ध साक्ष्यों, बयानों तथा अन्य तथ्यों की समीक्षा कराने, अंकिता के परिजनों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करने और साक्ष्यों को प्रभावित करने या तथ्यों को छिपाने की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी शामिल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन उनके अनुसार राजभवन से समय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने का मामला महिला सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और कानून के शासन से जुड़ा है। उन्होंने मांग की कि मामले से जुड़े अनुत्तरित सवालों का जवाब दिया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता एवं उत्तराखंड मीडिया पर्यवेक्षक पंखुड़ी पाठक, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला और प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह भी मौजूद रहीं। पत्रकार वार्ता के बाद कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में कार्यकताओं ने राजभवन के बाहर धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया।

### नीट काउंसलिंग में फर्जी आरक्षण प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में नीट काउंसलिंग के दौरान फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य के राजस्व सचिव को आरक्षण का लाभ लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार नेशनल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नीट की प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग के दौरान कई अभ्यर्थियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तहत फर्जी प्रमाण पत्र लगाए गए थे। जांच में पाया गया कि दस्तावेजों पर दर्ज प्रमाण पत्र संख्या किसी और की है और नाम किसी अन्य व्यक्ति का है।

# अंकिता हत्याकांड: 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए थे तीनों आरोपी

## एसआईटी ने 88 दिन में जांच पूरी कर अदालत में दाखिल किया था आरोपपत्र

स्वतंत्र चेतना



देहरादून। उत्तराखंड पुलिस ने वर्ष 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा होने के 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 88 दिन में जांच पूरी कर करीब 500 पृष्ठों का आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। कोटद्वार की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेशन ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों को हत्याकांड की जांच और न्यायिक कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश के निकट वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई थी।

इसकी अध्यक्षता पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) स्तर की महिला आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई थी। मुरुगेशन के अनुसार, एसआईटी ने जांच के दौरान डिजिटल, तकनीकी, फॉरेंसिक और भौतिक साक्ष्य जुटाए। इसके अलावा आरोपियों से पूछताछ की गई तथा फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों का विश्लेषण किया गया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में त्वरित सुनवाई और प्रभावी पैरवी के लिए शासन की ओर से आवश्यक प्रयास किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषी वर्तमान में जेल में बंद हैं।

### शुगर मिल की जमीन खुर्द-बुर्द मामले में हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

स्वतंत्र चेतना

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने लालकुआं तहसील के भवानीपुर हरिसिंह में शुगर मिल की जमीन को खुर्द-बुर्द करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राजस्व सचिव के समक्ष प्रत्यावेदन देने एवं राजस्व सचिव को उस प्रत्यावेदन पर चार सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार गोलापार हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 1977 में अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौरान केसर शुगर मिल की बरेली के बहेड़ी, नैनीताल के लालकुआं और ऊधमसिंह नगर में स्थित करीब दो हजार एकड़ जमीन को सीलिंग एक्ट के तहत सरप्लस घोषित किया गया था।


**गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

रजिस्टर्ड ऑफिस: 6वीं मंज़िल, बी बिल्डिंग, गागा ट्यूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014

ब्रांच ऑफ यूनिट:आर.के. टावर, दूसरी मंजिल, स्वामी हरिचुरम ट्रस्ट के सामने, कनखल रोड, आर्य नगर चौक, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखंड-249407

**ई-ऑक्शन सेल नोटिस**
**सरफेसी एक्ट के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री**

'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' (जिसे आगे 'एक्ट' कहा जाएगा) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 8 और 9 के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवी रखने वाले/गारंटर को यह सूचना दी जाती है कि नीचे बताई गई अचल संपत्तियां 'ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' (जिसे एक्ट के अनुसार 'सिक्योर्ड क्रेडिटर' कहा जाएगा) के पास गिरवी रखी गई थीं। इन संपत्तियों का कब्जा 'सिक्योर्ड क्रेडिटर' के अधिकृत अधिकारी ने एक्ट की धारा 13(12) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स' के नियम 8 और 9 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और एक्ट की धारा 13(2) के तहत नोटिस के आधार पर लिया है। सिक्योर्ड एसेट्स (गिरवी रखी गई संपत्तियां) को 18-11-2026 को ई-नीलामी के जरिए "जैसा है, जहाँ है" **(As is where is),** "जैसा है, वैसा है" (As is what is) और "जो कुछ भी है" **(Whatever there is)** के आधार पर बेचा जाएगा। आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम https://www.bankeauctions.com वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं। बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों (T&Cs) के लिए, कृपया GHFL/सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट **www.grihumhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

| प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम {ए} | मांग सूचना दिनांक और उत्कृष्ट राशि {बी} | कब्जे की प्रकृति {सी} | विवरण संपत्ति का {डी} | संरक्षित कीमत {ई} | ईएमडी (10% आरपी के) {एफ} | ईएमडी जमा करने की तिथि {जी} | वृद्धिशील बोली {एच} | संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय {क} | दिनांक और का समय नीलामी {जे} | ज्ञात अतिक्रमण-प्रतिबंध/अदालत मामले यदि कोई हों {के} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ऋण संख्या HF0173H2110 0001 सागर (उधारकर्ता) मंगलेश (सह-उधारकर्ता) | नोटिस की तारीख: 11-11-2025 कुल बकाया: रु. 638408/- (छह लाख अड़तीस हजार चार सौ आठ रुपये मात्र) 11-11-2025 तक देय, साथ ही भुगतान होने तक 17.85% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगेगा। | भौतिक | संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, जो प्लॉट नंबर 76 है, जिसके आयाम इस प्रकार हैं: पूर्व में 20 फीट, पश्चिम में 20 फीट, उत्तर में 30 फीट और दक्षिण में 30 फीट। इसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट (यानी 55.76 वर्ग मीटर) है। यह खसरा नंबर 1617 के अंतर्गत आता है और ह्यसिद्धि विनायक एन्क्लेवह्व, ग्राम सलेमपुर मेहदूद-2, परगना रुड़की, तहसील और जिला हरिद्वार में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में प्लॉट नंबर 103, उत्तर में प्लॉट नंबर 75, पश्चिम में 20 फीट चौड़ा रास्ता, और दक्षिण में प्लॉट नंबर 77। कुल क्षेत्रफल: 600 वर्ग फीट (यानी 55.76 वर्ग मीटर)। | रु. 13,56,250 रुपये (तेरह लाख छप्पन हजार दो सौ पचास रुपये मात्र) | रु. 1,35,625 रुपये (एक लाख पैंतीस हजार छह सौ पच्चीस रुपये मात्र) | 17-11-2026 शाम 5 बजे से पहले | 10,000/- | 13-11-2026 (सुबह 11 बजे शाम 4 बजे) | 18-11-2026 (सुबह 11 बजे दोपहर 2 बजे) | शून्य |

बोली लगाने/खरीदने के इच्छुक लोगों को सलाह दी